कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 49/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट

थाना : निजामाबाद | जनपद : आजमगढ़

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो-दो पासपोर्ट बनवाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / विवरण—

दिनांक **09.12.2025** को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, चौकी प्रभारी फरिहा, थाना निजामाबाद द्वारा थाना कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि पासपोर्ट धारक **रिजवान अहमद पुत्र सिद्दीक अहमद**, निवासी सुराही, पोस्ट फरिहा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर अलग-अलग पहचान विवरणों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए गए हैं।

अभियुक्त द्वारा पहले पासपोर्ट हेतु एक जन्मतिथि एवं माता का नाम दर्शाया गया, जबकि दूसरे पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड, आयु एवं निवास प्रमाण पत्रों में कूटरचना कर भिन्न जन्मतिथि, माता-पिता एवं अन्य विवरण अंकित कर पासपोर्ट बनवाया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अपने अभिलेखों में कूटरचना कर जालसाजी किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0–408/25** धारा **319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस तथा धारा 12(1) पासपोर्ट अधिनियम** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण—

आज दिनांक **04.02.2026** को विवेचना के दौरान उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय द्वारा वांछित अभियुक्त को पूछताछ हेतु थाना उपस्थित होने के लिए तलब किया गया। अभियुक्त थाना उपस्थित हुआ, जिसे अभियोग से अवगत कराते हुए आवश्यक पूछताछ की गई। अभियुक्त अपने बचाव में कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियोग की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को समय **12:20 बजे** पुलिस हिरासत में लेकर नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0–408/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस धारा 12(1) पासपोर्ट अधिनियम थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त—

रिजवान अहमद पुत्र सिद्दीक अहमद निवासी— सुराही, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ उम्र— लगभग 55 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, चौकी इंचार्ज रसीदगंज
   थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

प्रेस–नोट

थाना : जीयनपुर | जनपद : आजमगढ़

आगजनी की दो अलग-अलग घटनाओं का सफल अनावरण, एक अभियुक्त गिरफ्तार एवं एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

पूर्व की घटना / विवरण—

थाना जीयनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौको खुर्द में आगजनी की दो अलग-अलग घटनाओं के सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पहली घटना में दिनांक **02.01.2025** की रात्रि लगभग **01:00 बजे** टीनशेड में खड़ी चार पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, साइकिल एवं घरेलू सामान में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आग लगा दी गई, जिससे उक्त संपत्ति पूर्णतः जलकर नष्ट हो गई। इस सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0–32/2026**, धारा **326(F) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दूसरी घटना में दिनांक **23.01.2026** की रात्रि लगभग **11:45 बजे** घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी गई, जिससे निजी संपत्ति को भारी क्षति हुई। इस सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0–39/2026**, धारा **326(F) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दोनों अभियोगों की विवेचना उ0नि0 जाफर खान द्वारा की जा रही थी।

घटना का अनावरण / कार्यवाही—

दिनांक **04.02.2026** को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सगड़ी महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के नेतृत्व में उ0नि0 जाफर खान मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक **03.02.2026** को—

- समय **14:00 बजे**, ग्राम चौको खुर्द से **एक बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया**, तथा
- समय **23:55 बजे**, ग्राम तरौका से अभियुक्त **रंजीत उर्फ विल्खू विश्वकर्मा पुत्र विजय प्रकाश विश्वकर्मा**, निवासी ग्राम चौको खुर्द, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **24 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया।

आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

रंजीत उर्फ विल्खू विश्वकर्मा पुत्र विजय प्रकाश विश्वकर्मा निवासी— ग्राम चौको खुर्द, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र— लगभग 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग—

1. मु0अ0सं0–32/2026, धारा 326(F) बीएनएस, थाना जीयनपुर
2. मु0अ0सं0–39/2026, धारा 326(F) बीएनएस, थाना जीयनपुर

अपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0–32/2026, धारा 326(g) बीएनएस, थाना जीयनपुर
2. मु0अ0सं0–43/2026, धारा 326(g) बीएनएस, थाना जीयनपुर

गिरफ्तारी/कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 जाफर खान, चौकी प्रभारी लाटघाट, थाना जीयनपुर
2. का0 सतीश सिंह, थाना जीयनपुर
3. का0 अर्जुन कुशवाहा, थाना जीयनपुर
4. का0 राहुल कुमार यादव, थाना जीयनपुर
5. का0 मेराज अली, थाना जीयनपुर
6. का0 श्यामदेव यादव, थाना जीयनपुर

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना : बिलरियागंज | जनपद : आजमगढ़

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कई गंभीर मामलों में रहा है संलिप्त

संक्षिप्त विवरण—

थाना बिलरियागंज क्षेत्र में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोह के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में *उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम–1986* के अन्तर्गत वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक **17.03.2025** को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास गोवध की घटना के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर **मु0अ0सं0–78/25**, धारा **3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम** पंजीकृत किया गया था, जिसमें मौके से लगभग **53 किलोग्राम 430 ग्राम गोमांस** बरामद किया गया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं अवैध लाभ हेतु अपराध कारित किए जा रहे हैं, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है तथा सामाजिक व धार्मिक सौहार्द को क्षति पहुँची है।

उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध **मु0अ0सं0–33/26**, धारा **3(1)/2(ख) की उपधारा (17) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम–1986** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक **03.02.2026** को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष बिलरियागंज **सुनील कुमार दुबे** के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **बिन्दवल बाजार** से वांछित अभियुक्त **तुफैल पुत्र स्व0 कुद्दुस**, निवासी बिन्दवल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **41 वर्ष** को समय लगभग **07:45 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

तुफैल पुत्र स्व0 कुद्दुस निवासी— बिन्दवल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास का विवरण—

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से निम्नलिखित गंभीर अभियोग पंजीकृत हैं—

1. **मु0अ0सं0 78/25** — धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बिलरियागंज
2. **मु0अ0सं0 75/20** — धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना बिलरियागंज
3. **मु0अ0सं0 08/20** — धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना बिलरियागंज
4. **मु0अ0सं0 44/20** — धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना बिलरियागंज
5. **मु0अ0सं0 215/13** — धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना बिलरियागंज
6. **मु0अ0सं0 490/13** — धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना बिलरियागंज
7. **मु0अ0सं0 375/13** — धारा 110(जी) भादवि, थाना बिलरियागंज
8. **मु0अ0सं0 33/26** — धारा 3(1)/2(ख) उपधारा (17) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम, थाना बिलरियागंज

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. सुनील कुमार दुबे — थानाध्यक्ष, बिलरियागंज
2. हे0का0 गाँधी यादव — थाना बिलरियागंज
3. का0 छट्टू साहनी — थाना बिलरियागंज

प्रेस नोट

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

एक 02 हार्स पावर विद्युत मोटर चोरी का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पवई क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री भगवान यादव पुत्र स्व0 निद्धू राम यादव निवासी सुल्तानपुर पोस्ट मुतकल्लीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 29.01.2026 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 28/29.01.2026 की रात्रि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उनके ट्यूबवेल से 02 हार्स पावर की विद्युत मोटर चोरी कर ली गई है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 22/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण

दिनांक 04.02.2026 को उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा व उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर सुलेमापुर अंडरपास के पास से तीन अभियुक्तों—

1. आलोक कुमार पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम सुलेमापुर थाना पवई
2. गुलाब कुमार पुत्र दिनेश निवासी ग्राम सुलेमापुर थाना पवई
3. रजनीश पाल पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम सुल्तानपुर भुलेसरा थाना पवई को समय 04:55 बजे चोरी की गई एक अदद 02 हार्स पावर विद्युत मोटर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 22/26 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना पवई, जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण

एक अदद 02 हार्स पावर विद्युत मोटर।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

1. उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह थाना पवई, जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – पवई, जनपद – आजमगढ़

****किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार****

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक 03.02.2026 को वादी थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 02.02.2026 को रात्रि समय लगभग 10.00 बजे उसकी नाबालिग पुत्री एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम विजेन्द्र पुत्र रमेश निवासी ग्राम सुलेमापुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 03.02.2026 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह का0 चन्द्रशेखर शाह व महिला आरक्षी कल्पना निर्मल द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजेन्द्र पुत्र रमेश निवासी ग्राम सुलेमापुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को ग्राम सुलेमापुर से समय करीब 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

विजेन्द्र पुत्र रमेश निवासी – ग्राम सुलेमापुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ उम्र – लगभग 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 20/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना पवई, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 गोपाल जी, का0 चन्द्रशेखर शाह, म0का0 कल्पना निर्मल, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, थाना – मेंहनाजपुर, जनपद – आजमगढ़

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के प्रकरण में एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

दिनांक 02.02.2026 को थाना मेहनाजपुर क्षेत्र की एक युवती द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि वह लगभग 19 वर्ष की है तथा अभियुक्त के साथ विगत लगभग 04 वर्षों से प्रेम-संबंध था। आरोप है कि दिनांक 31.01.2026 को अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी को बनारस ले जाकर शारीरिक संबंध स्थापित किया गया तथा बाद में शादी से इंकार कर दिया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0 08/2026 धारा 69, 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमे की विवेचना उ0नि0 परमहंस मौर्य द्वारा की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही का विवरण

दिनांक 04.02.2026 को उ0नि0 परमहंस मौर्य मय हमराह पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर इटैली बाजार के पास से एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बाल अपचारी को कारण बताकर समय लगभग 07:40 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट, दिनांक – 04.02.2026

थाना – गम्भीरपुर, जनपद – आजमगढ़

चोरी के मुकदमे का सफल अनावरण, चोरी के ₹7,230/- व 03 अदद ब्लेड कटर के साथ 03 अंतर्जनपदीय अभियुक्ताएं गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.01.2026 को वादिनी श्रीमती सविता द्वारा थाना गम्भीरपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अंकित था कि दिनांक 09.01.2026 को मायके जाते समय ब्रिंदा बाजार के पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी के कुछ जेवरात व ₹5,000/- नकद चोरी कर लिए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 303(2) बीएनएस, दिनांक घटना 09.01.2026, समय अज्ञात, बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 04.02.2026 को उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप मय उ0नि0 संजय कुमार सिंह, का0 सूरज खरवार, म0का0 अनामिका मिश्रा व म0का0 अंजली सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 09.01.2026 को मुहम्मदपुर के पास महिला से चोरी की घटना को अंजाम देने वाली तीन महिलाएं रानीपुर रजमो मुसहर बस्ती जाने वाली सड़क के पास खड़ी हैं।

मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर तीनों अभियुक्ताओं को समय करीब 13.10 बजे रानीपुर रजमो से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण व बरामदगी –

1. **शकिना पत्नी राजू उर्फ नेता**, निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत, जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 35 वर्ष
   – 01 अदद कटर, 01 अदद ब्लेड व ₹2,450/- नकद बरामद
2. **मेहनाज पत्नी स्व0 गुड्डू**, निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत, जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 40 वर्ष
   – ₹2,250/- नकद बरामद
3. **गरीबुन पत्नी आशिक**, निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत, जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 35 वर्ष
   – ₹2,550/- नकद बरामद

गिरफ्तार अभियुक्ताओं को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 10/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

क्रम संख्या	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	04/2025	316(2) बीएनएस	फूलपुर	प्रयागराज
2	42/2025	303(2)/317(2) बीएनएस	मछलीशहर	जौनपुर
3	211/2025	303(2)/317(2) बीएनएस	रानी की सराय	आजमगढ़
4	272/2025	317(2)/318(4) बीएनएस	गम्भीरपुर	आजमगढ़
5	85/2022	34/379/411/420 भादवि	सरपतहा	जौनपुर
6	131/2022	380/411/457 भादवि	सरायख्वाजा	जौनपुर
7	45/2024	379/411 भादवि	बरसठी	जौनपुर

कुल बरामदगी –

01 अदद कटर, 03 अदद ब्लेड एवं ₹7,230/- नकद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप
2. उ0नि0 संजय कुमार सिंह का0 सूरज खरवार
3. म0का0 अनामिका मिश्रा म0का0 अंजली सरोज*(थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़)*

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 04.02.2026

थाना – कन्धरापुर, जनपद – आजमगढ़

चोरी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी

पूर्व की घटना का विवरण –

दिनांक 20.10.2025 को आवेदक रजत कुमार पुत्र संतोष कुमार प्रसाद, निवासी ब्रह्मस्थान शिवा हॉस्पिटल के बगल में, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा ई-एफआईआर के माध्यम से सूचना दी गई कि उनकी मोटरसाइकिल (125 सीसी पल्सर) वाहन संख्या **JH 05 DE 6354** दिनांक 11.06.2025 को समय लगभग 08.00 से 09.00 बजे के मध्य चोरी हो गई थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 **325/2025** धारा **303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा संपादित की जा रही थी।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग से संबंधित चोरी की मोटरसाइकिल थाना तरवां क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बरामद हुई। पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण

1. अविनाश पुत्र स्व0 हरिराम मौर्य, निवासी मुस्तफाबाद, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
2. सत्यम गौड़ पुत्र स्व0 लालचन्द गौड़, निवासी मोहब्बतपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
3. निखिल उर्फ कालू पुत्र विनोद सिंह, निवासी चकरावां, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

के नाम प्रकाश में आए।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 04.02.2026 को उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमण/देखभाल की जा रही थी कि मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त **सत्यम गौड़ पुत्र स्व0 लालचन्द गौड़**, निवासी मोहब्बतपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को **कम्हेनपुर पुलिया के पास से समय 14.45 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

सत्यम गौड़ पुत्र स्व0 लालचन्द गौड़ निवासी – मोहब्बतपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र – लगभग 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 325/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़
2. का0 आकाश गौड़, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस–विज्ञप्ति, दिनांक : 04.02.2026, जनपद : आजमगढ़

हत्या के 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व ₹61,500/- के अर्थदण्ड की सजा दिलाने वाले 05 पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया

➡ आज दिनांक **04 फरवरी 2026** को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में *ऑपरेशन कन्विक्शन* अभियान के अंतर्गत थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत **मु0अ0सं0–09/2023**, धारा **147/148/149/302/307/325/323/452 भादवि** में अभियुक्तगण **राजकुमार पुत्र भगेलू, दीपक उर्फ अमित, सतीश उर्फ डम्पी, मनीष उर्फ पप्पी एवं आशा पत्नी राजकुमार**, निवासीगण **बड़ौरा खुर्द, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़** को न्यायालय द्वारा **आजीवन कारावास एवं कुल ₹61,500/- के अर्थदण्ड** से दण्डित कराए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले **05 पुलिसकर्मियों** को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

➡ इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सम्मानित पुलिसकर्मियों के कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी एवं सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई तथा जनपद के अन्य पुलिसकर्मियों को भी *ऑपरेशन कन्विक्शन* के अंतर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रेरित किया गया।

प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों का विवरण—

1. **उ0नि0 विनय सिंह** — पीआरओ, एसएसपी कार्यालय, जनपद आजमगढ़
   (तत्कालीन विवेचक, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़)
2. **मुख्य आरक्षी गजानन सरोज** — मॉनिटरिंग सेल, जनपद आजमगढ़
3. **मुख्य आरक्षी जलील अली** — कोर्ट पैरोकार, जनपद आजमगढ़
4. **आरक्षी ओम प्रकाश यादव** — मॉनिटरिंग सेल, जनपद आजमगढ़
5. **आरक्षी कुलदीप पटेल** — कोर्ट मोहर्रिर, जनपद आजमगढ़

➡ उक्त सम्मान समारोह के दौरान **अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह** की उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

प्रेस–विज्ञप्ति, दिनांक : 04.02.2026, जनपद : आजमगढ़

03 वर्ष से अधिक समय से अपहृत किशोरी के मामले में वांछित ₹25,000/- के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाले 04 पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया

➡ दिनांक **04.02.2023** को थाना सिधारी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक **14.02.2023** को एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0–81/23**, धारा **363 भादवि** पंजीकृत किया गया।

➡ विवेचना के दौरान पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय में दिये गये धारा **164 सीआरपीसी** के बयान के अवलोकन से अभियोग में धारा **366/376 भादवि तथा 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट** की वृद्धि की गई। प्रकरण से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **विरेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र अर्जुन**, निवासी ग्राम गुठी प्रसौनी, थाना बेलाटाड़ी प्रतापपुर, जिला नवलपरासी पश्चिम, राज्य लुम्बिनी (नेपाल), उम्र करीब **21 वर्ष** को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

➡ इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा सम्मानित पुलिसकर्मियों के कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी एवं सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों का विवरण—

1. **निरीक्षक राकेश कुमार सिंह** — थाना प्रभारी सिधारी, *जनपद आजमगढ़*
2. **उ0नि0 जावेद** — थाना सिधारी, *जनपद आजमगढ़*
3. **आरक्षी इन्दल कुमार** — थाना सिधारी, *जनपद आजमगढ़*
4. **आरक्षी कुलदीप सरोज** — थाना सिधारी, *जनपद आजमगढ़*

➡ उक्त सम्मान समारोह के दौरान **अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी** की उपस्थिति में आज दिनांक- 04.02.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में सभी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 04.02.2026 जनपद आजमगढ़

*"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,05,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना रानी की सरांय में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्त को आजीवन कारावास व मु0 105000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक 30.03.2003 को वादी मुकदमा जितेन्द्र यादव पुत्र स्व0 हरिलाल यादव निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 29.03.2003 की सायं अभियुक्तगण 1- जयेन्द्र कुमार सिंह पुत्र विरेन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम छितौनी, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी, तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना रानी की सराय (सेवानिवृत्त) तथा 2- हे0का0प्रो0 नरेन्द्र बहादुर सिंह (मृत) द्वारा वादी के पिता हरिलाल यादव को उनके घर से पकड़कर पूछताछ हेतु थाना रानी की सराय ले जाया गया। आरोप है कि रात्रि लगभग 10.00 बजे थानाध्यक्ष जयेन्द्र कुमार सिंह के उकसाने पर हे0का0 नरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा रिवाल्वर से गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल हरिलाल यादव को उपचार हेतु सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रानी की सरांय पर मु0अ0सं0- 105/2003 धारा-302,342,504 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 11 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 04.02.2026 को मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा *मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त जयेन्द्र कुमार सिंह पुत्र विरेन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम छितौनी, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व मु0 105000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया।**